

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारा द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 17/2024

दायरा दिनांक:-13.06.2024

निर्णय दिनांक:- 27.8.24

उनवान

हरिराम आयु 45 वर्ष पुत्र श्री कल्लुलाल जाति वैरवा निवासी ग्राम कोटडी तहसील तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांक:- 27.8.24

अभिभाषक उपस्थित:-1. श्री सोमेश कुमार गालव - प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल कोटडी प०म० कडैयावन तहसील छबडा की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2075 2078 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 169 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 1.7578 हैक्टर, खातेदार हरिराम पुत्र कल्लू जाति चमार सा० देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। एव वाके माल सोलतपुरा प०म० कडैयावन तहसील छबडा की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2073-2076 जमाबंदी सम्वत 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी में खाता संख्या 108 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1265 है० खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0506 हैक्टर कुल किता 2 तादादी 0.1771 हैक्टर खातेदारान मु० केसर पत्नि स्व० कल्लू हिस्सा 1/2 जाति चमार सा० देह एव हरिराम पुत्र कल्लू हिस्सा 1/2 जाति चमार सा० देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है एव वाके माल सोलतपुरा प०म० कडैयावन की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2073-2076 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 109 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.0253 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 1.6693 हैक्टर, कुल किता 2 तादादी 1.6946 हैक्टर, खातेदारान पॉन्डु पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/2 जाति चमार सा० कोटडी एवं हरिराम पुत्र कल्लू हिस्सा 1/2 जाति चमार सा० कोटडी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही है। जिस पर प्रार्थी अपने हिरसे पर निर्वाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2031 तक में वाके माल कोटडी में खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 398 रकबा 6 बीघा 19 बिरवा खातेदार कल्लू वल्द गणपत जाति चमार सा० देह प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। एव वाके माल सोलतपुरा की जमाबंदी सम्वत 2036 2039 में खाता संख्या 80 में खसरा नम्बर 195 रकबा 10 बिरवा खसरा नम्बर 197 रकबा 4 बिरवा कुल किता 2 तादादी 10 बिरवा प्रार्थी के पिता कल्लू पुत्र गणपत कोम चमार सा० देह प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है एव वाके माल सोलतपुरा की खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2031

तक में खाता संख्या 2 में खसरा नम्बर 193 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कुल कित्ता 2 तादादी 6 बीघा 14 बिस्वा खातेदार कल्लू नाबालिंग वल्द गणपत सरपरस्त मदर मु० मददू व डाल्या वल्द बाल्या कोम चमार सा० कोटडी हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी थी। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड बैंक डायरी जगैरहा सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र कल्लूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कोटडी दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित ग्राम कोटडी की आराजी में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र कल्लू जाति चमार एवं ग्राम सोलतपुरा में खाता संख्या 108 की आराजी में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र कल्लू जाति चमार एवं खाता संख्या 109 की आराजी में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र कालू दर्ज रिकार्ड है जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम कल्लू और कालू एव जाति चमार दर्ज रिकार्ड है। जो अशोभनीय एव अशुद्ध है जिसे प्रार्थी शोभनीय एवं शुद्ध दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम एव प्रार्थी की जाति अशोभनीय दर्ज है जिसे प्रार्थी अपने पिता का नाम कल्लूलाल एव जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके माल कोटडी की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 169 खसरा नम्बर 398 रकबा 1.7578 में खातेदार हरिराम पुत्र कल्लू जाति चमार के स्थान पर हरिराम पुत्र कल्लूलाल जाति बैरवा एव वाके माल सोलतपुरा के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 108 में खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1265 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0506 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल तादादी 0.1771 हैक्टर, खातेदार हरिराम पुत्र कल्लू हिस्सा 1/2 जाति चमार के स्थान पर हरिराम पुत्र कल्लूलाल हिस्सा 1/2 जाति बैरवा एवं वाके माल सोलतपुरा के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 109 में खसरा नम्बर 193 रकबा 0.0253 हैक्टर खसरा नम्बर 194 रकबा 1.6693 हैक्टर, कुल कित्ता 2 तादादी 1.6946 हैक्टर में खातेदार हरिराम पुत्र कालू हिस्सा 1/2 जाति चमार के स्थान पर हरिराम पुत्र कल्लूलाल हिस्सा 1/2 जाति बैरवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार छबड़ा एवं हल्का पटवारी पटवार मण्डल कडैयावन को आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ज सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 169 नकल जमाबन्दी ग्राम सोलतपुरा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 109 नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2012-31 खाता संख्या 2 नकल जमाबन्दी ग्राम सोलतपुरा सम्वत् 2036-39 खाता संख्या 80 नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012-31 खाता संख्या 2 पेश की गई फोटो प्रति आधार कार्ड हरिराम फोटो प्रति फोटो पहचान पत्र हरिराम फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक स्टेट बैंक इंडिया हरिराम पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी व सोलतपुरा में दर्ज चली आ रही है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड कोटडी की जमाबन्दी में हरिराम पुत्र कल्लू जाति चमार दर्ज है। एवं ग्राम सोलतपुरा में खाता संख्या 108 में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र कल्लू जाति चमार खाता संख्या 109 में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

काल्लु दर्ज है जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम कल्लु और कालु एवं जाति चमार दर्ज रिकार्ड है जो अशोभनीय एवं अशुद्ध है प्रार्थी के पिता का नाम एवं प्रार्थी की जाति अशोभनीय दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम कल्लुलाल एवं जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम कल्लुलाल दर्ज है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हरिराम पुत्र कल्लुलाल जाति बैरवा दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 169 में हरिराम पुत्र कल्लु जाति चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम सोलतपुरा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 108 में हरिराम पुत्र कल्लु जाति चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम सोलतपुरा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 109 में हरिराम पुत्र कल्लु जाति चमारा दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि ग्राम सोलतपुरा के खाता संख्या 109 में हरिराम पुत्र कालु दर्ज है तथा अन्य जमाबन्दी में हरिराम पुत्र कालु दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में हरिराम पुत्र कल्लुलाल दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का हरिराम पुत्र कल्लु जाति चमार के स्थान पर हरिराम पुत्र कल्लुलाल जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि नाम एवं जाति शुद्धि हेतु राज० सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5(8) राज.-4/83 राज.6/15 दिनांक 1.11.1996 प.क.-4(1) राज-6/2022/19 दिनांक 18.06.2007 क्रमांक प-4(1) राज.6/2002/16 दिनांक 28.12.2017 एवं क्रमांक-प-4(1) राज(6)/2002 दिनांक 23.12.2020 से निर्देश प्रदान किये गये कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपमानजनक व गलत दर्ज जाति एवं नाम सम्बन्धित त्रुटियों को दूरस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया गया है राज. सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम एवं जाति चमार ग्राम कोटडी एवं सोलतपुरा के खाता संख्या 169,108 एवं 109 में दर्ज कल्लु के स्थान पर कल्लुलाल एवं जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज करने की अनुशंसा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 398 रकबा 1.7578 है० ग्राम सोलतपुरा के खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1265 है० खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0506 है० खसरा नम्बर 193 रकबा 0.0253 है खसरा नम्बर 194 रकबा 1.6693 है० हरिराम पुत्र कल्लु , हरिराम पुत्र कालु जाति चमार के स्थान पर हरिराम पुत्र कल्लुलाल जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(समिति अध्यक्ष) रा
अमर.पं.रा

उपखण्ड अधिकारी, छबडा